20/6/22

प्रार्थना पत्र संलग्नी पर पंजीयन की प्रश्न हुई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् विद्र किये जाने बाद बाकी सरकार होने के कारण वादिनी का वाद विद्र होकर स्वतः ही पुरा है। वाद के अभाव में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पंजीयन फुलस्केप साइज होकर नम्बर से कम है। दाखिल दफ्तर हो।

महायाचक
[illegible] जिला [illegible] (राज.)